

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश  
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक आरसीएच/एनआरएचएम/एसपीएमयू/08-09/3099 भोपाल, दिनांक 16.06.2008

आदेश

राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं आर.सी.एच. कार्यक्रम के अंतर्गत सीमॉक एवं बीमॉक संस्थाओं में स्टाफ नर्स के संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु पद स्वीकृत किये गये हैं। पूर्व में इन पदों पर संविदा नियुक्तियां राज्य स्तर से की जाती रही है। एतद् द्वारा अब आर.सी.एच./एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत स्टाफ नर्स की संविदा नियुक्तियों के अधिकार जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रत्यायोजित किये जाते हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से चयन समिति का गठन कर सीमॉक एवं बीमॉक संस्थाओं में स्वीकृत पदों की पूर्ति हेतु संविदा नियुक्ति के नियमों एवं आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन कर, जिला स्तर पर स्टाफ नर्स की संविदा नियुक्तियां करेंगे।

(अलका उपाध्याय)  
स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. आरसीएच/एनआरएचएम/एसपीएमयू/08-09/3100 भोपाल, दिनांक 16.06.2008  
प्रतिलिपि—

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वा. एवं प.क. विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. संचालक, प.क., संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.
3. समस्त संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.
5. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.आर.एच.एम., म.प्र.

स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्यप्रदेश